न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/225 दायरा दिनांक : 16.12.2022

उनवान

1 नन्दू बाई पत्नी उदा, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
1/1 श्योदानलाल पुत्र नन्दूबाई व उदा, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
1/2 शंकर लाल पुत्र नन्दूबाई व उदा, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
1/3 गोपाललाल पुत्र नन्दूबाई व उदा, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
2 उदा पुत्र देवा, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

.... अपीलांट

बनाम

1 तेजू पुत्र नारायण, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
2 सरदार बाई बेवा नारायण, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
3 रामीबाई पुत्री नारायण, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
4 धन्ना पुत्र कालू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
5 पूरा पुत्र कालू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
6 नन्दूबाई पुत्री कालू जाति चमार, निवासी निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
7 रामीबाई पुत्री कालू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
8 सहायता बाई पुत्री कालू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
9 रतनलाल पुत्र काना (जवाई), जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
10 स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/227 दायरा दिनांक : 16.12.2022

उनवान

मानालाल पुत्र बाबरू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
2 शंकरलाल पुत्र बाबरू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
3 बद्रीलाल पुत्र बाबरू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
4 कैलाश पुत्र बाबरू, जाति चगार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
5 भग्गुलाल पुत्र नाथू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0 मृतक–
5/1 बालूलाल पुत्र भग्गुलाल, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
5/2 दशरथलाल पुत्र भग्गुलाल, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
6 किशनलाल पुत्र नाथू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
7 चन्दरलाल पुत्र सिद्धू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
8 सक्कूबाई पत्नी सिद्धू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

.... अपीलांट

बनाम

1 तेजू पुत्र नारायण, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
2 सरदार बाई बेवा नारायण, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
3 रामीबाई पुत्री नारायण, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
4 धन्ना पुत्र कालू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
5 पूरा पुत्र कालू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
6 नन्दूबाई पुत्री कालू जाति चमार, निवासी निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
7 रामीबाई पुत्री कालू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
8 सहायता बाई पुत्री कालू, जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
9 रतनलाल पुत्र काना (जवाई), जाति चमार, निवासी गुवालद, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
10 स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय दिनांक : 31.01.2024

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 00049/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गुवालद पटवार क्षेत्र केलूखेडा, तहसील गंगधार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 586 रकबा 0.15 बीघा के सम्बन्ध में वाद पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 12.11.2021 से वाद वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी ग्राम गुवालद के खसरा नम्बर 586 रकबा 3.18 बीघा, 684 रकबा 1.05 बीघा, 685 रकबा 1.08 बीघा, 686 रकबा 1.16 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 8.07 बीघा भूमि पर सेवा पुत्र सरूप, भग्गा पुत्री घीसा, पूरा पुत्र भीमडा, वारिसान नारायण पुत्र भीमडा सर्वे जाति चमार, निवासी गुवालद को हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार गंगधार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

अपील संख्या 2022/225 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मातहम न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। वादीगण (रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3) ने अधीनस्थ न्यायालय में आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 0.15 बीघा में अपना हिस्सा खाते घोषित कराने व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया था उक्त आराजी प्रतिवादीगण (रेस्पोडेंट नं. 4 लगायत 9) के खातेदारी में थी जिस कारण केवल इनके खिलाफ यह दावा पेश किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा नं. 1 नन्दू बाई के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 586/3 रकबा 0.1897 हेक्टर तथा अपीलांट नं. 2 के खातेदारी की आराजी खसरा 586/1 रकवा 0.1138 हेक्टर व सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 685 रकबा 0.3541 हेक्टर खसरा नम्बर 686 रकवा 0.4553 हेक्टर में भी वादीगण (रेसपोडेंट नम्बर 1 लगायत 3) एक अन्य पूरा पुत्र भीमडा, भग्गा पुत्र घीसा, सेवा पुत्र सरूप का नाम भी सहखातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि उक्त व्यक्तियों ने दावा लगाया ही नहीं है एवं प्रतिवादी भी नहीं बनाया है। उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.09.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्टस् नं. 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेन्टस् नं. 4 लगायत 9 के खिलाफ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गंगधार के यहाँ धारा 136 सपठित 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत दावा पेश किया। जिसमें दिनांक 12.11.2021 को निर्णय पारित कर दिया है। उक्त वाद में अपीलान्टस् को पक्षकार नहीं बनाया गया और अपीलान्टा नम्बर 1 नन्दूबाई के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 586/3 रकबा 0.1897 हेक्टेयर तथा अपीलान्ट नम्बर 2 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 586/1 रकबा 0.1138 हेक्टेयर एवं सहखातेदारी की आराजी खसरा नं0 685 रकबा 0.3541 हेक्टेयर, खसरा नं0 686 रकबा 0.4553 हेक्टेयर में वादीगण (रेस्पोडेन्टस् नम्बर 1 लगायत 3) एवं अन्य पूरा पुत्र भीमडा, भग्गा पुत्र घीसा, सेवा पुत्र सरूप को अधीनस्थ न्यायालय ने सहखाते घोषित कर दिया है। जिस कारण अपीलान्टस् की आराजी में वादीगण (रस्पोडेन्टस् नम्बर 1 लगायत 3) एवं अन्य पूरा पुत्र भीमड़ा, भग्गा पुत्र घीसा, सेवा पुत्र सरूप का नाम दर्ज हो गया है। जिस

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कारण अपीलान्टस् को अपील पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/अपीलान्टस् को अपील पेश करने की इजाजत बक्शी जावे।

अपील संख्या 2022/227 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध हैं, एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। अपीलान्टस् को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। वादीगण (रेस्पोडेन्टस् नम्बर 1 लगायत 3) ने अधीनस्थ न्यायालय में आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 0.15 बीघा में अपना हिस्सा खाते घोषित कराने व इन्द्राज दुरस्ती का दावा पेश किया था। उक्त आराजी प्रतिवादीगण (रेस्पोडेन्टस् नम्बर 4 लगायत 9) के खातेदारी में थी जिस कारण केवल इनके खिलाफ ही दावा पेश किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् नम्बर 1 लगायत 4 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 586/5 रकबा 0.1897 हैक्टेयर तथा अपीलान्टस् नम्बर 5/1, 5/2 व 6 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 693/586 रकबा 0.1012 हैक्टेयर एवं अपीलान्टस् नम्बर 7 व 8 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 586/2 रकबा 0.1897 हैक्टेयर एवं अपीलान्टस् नम्बर 1 लगायत 8 के सहखातेदारी की आराजी खसरा नं0 685 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नं0 686 रकबा 0.4553 हैक्टेयर में भी वादीगण (रेस्पोडेन्टस् नम्बर 1 लगायत 3) एवं अन्य पूरा पुत्र भीमड़ा, भग्गा पुत्र घीसा, सेवा पुत्र सरूप का भी नाम सहखातेदारी में दर्ज कर दिया। जबकि उक्त व्यक्तियों ने दावा लगाया ही नहीं है एवं प्रतिवादी भी नहीं बनाया हैं। उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने बिना अपीलान्टस् को सुने निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है, तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त कि जावे।
अपील के साथ अपीलांट ने धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्टस् नं. 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेन्टस् नं. 4 लगायत 9 के खिलाफ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के यहॉ धारा 136 सपठित 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत दावा षेश किया। जिसमें दिनांक 12.11.2021 को निर्णय पारित कर दिया है। उक्त वाद में अपीलान्टस् को पक्षकार नहीं बनाया गया और अपीलान्टस् नम्बर 1 लगायत 4 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 586/5 रकबा 0.1897 हैक्टेयर तथा अपीलान्टस् नम्बर 5/1, 5/2 व 6 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 693/586 रकबा 0.1012 हैक्टेयर एवं अपीलान्टस् नम्बर 7 व 8 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 586/2 रकबा 0.1897 हैक्टेयर एवं अपीलान्टस् नम्बर 1 लगायत 8 के सहखातेदारी की आराजी खसरा नं0 685 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नं0 686 रकबा 0.4553 हैक्टेयर में भी वादीगण (रेस्पोडेन्टस् नम्बर 1 लगायत 3) एवं अन्य पूरा पुत्र भीमड़ा, भग्गा पुत्र घीसा, सेवा पुत्र सरूप को अधीनस्थ न्यायालय ने सहखाते घोषित कर दिया है। जिस कारण अपीलान्टस् की आराजी में वादीगण (रेस्पोडेन्टस् नम्बर 1 लगायत 3) एवं अन्य पूरा पुत्र को भीमडा, भग्गा पुत्र घीसा, सेवा पुत्र सरूप का नाम दर्ज हो गया है। जिस कारण अपीलान्टस् अपील पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/अपीलान्टस् को अपील पेश करने की इजाजत बक्शी जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.10.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील संख्या 2022/225 के साथ धारा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि रेस्पोडेंट्स नं. 1 लगायत 3 के खिलाफ श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के यहां धारा 136 सपठित धारा 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत दावा पेश किया। जिसमें दिनांक 12.11.2021 को निर्णय पारित कर दिया है। उक्त वाद में अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया और अपीलांटा नं. 1 नन्दूबाई के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 586/3 रकबा 0.1897 हैक्टेयर तथा अपीलांट नं. 2 के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 586/1 रकबा 0.1138 हैक्टेयर एवं सहखातेदारी की आराजी खसरा नं. 685 रकबा 0. 3541 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.4553 हैक्टेयर में वादीगण (रेस्पोडेंट्स नं. 1 लगायत 3) एवं अन्य पूरा पुत्र भीमडा, भग्गा पुत्र घीसा, सेवा पुत्र सरूप को अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदार घोषित कर दिया, जिस कारण अपीलांट्स की आराजी में वादीगण (रेस्पोडेंट्स नं. 1 लगायत 3) एवं अन्य पूरा पुत्र भीमडा, भग्गा पुत्र घीसा, सेवा पुत्र सरूप का नाम दर्ज हो गया है। जिस कारण अपीलांट्स को अपील पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/अपीलांट्स को अपील पेश करने की इजाजत बक्शी जावे।

(वीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या 2022/227 के साथ धारा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि रेस्पोडेंट्स नं. 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेंट्स नं. 4 लगायत 9 के खिलाफ श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के यहां धारा 136 सपठित धारा 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत दावा पेश किया। जिसमें दिनांक 12.11.2021 को निर्णय पारित कर दिया है। उक्त वाद में अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया और अपीलांट्स नं. 1 लगायत 4 के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 586/5 रकबा 0.1897 हैक्टेयर तथा अपीलांट्स नं. 5/1, 5/2 व 6 के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 693/586 रकबा 0.1012 हैक्टेयर एवं अपीलांट्स नं. 7 व 8 के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 586/2 रकबा 0.1897 हैक्टेयर एवं अपीलांट्स नं. 1 लगायत 8 के सहखातेदारी की आराजी खसरा नं. 685 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.4553 हैक्टेयर में भी वादीगण (रेस्पोडेंट्स नं. 1 लगायत 3) एवं अन्य पूरा पुत्र भीमडा, भग्गा पुत्र घीसा, सेवा पुत्र सरूप को अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदार घोषित कर दिया, जिस कारण अपीलांट्स की आराजी में वादीगण (रेस्पोडेंट्स नं. 1 लगायत 3) एवं अन्य पूरा पुत्र भीमडा, भग्गा पुत्र घीसा, सेवा पुत्र सरूप का नाम दर्ज हो गया है। जिस कारण अपीलांट्स को अपील पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/अपीलांट्स को अपील पेश करने की इजाजत बक्शी जावे।

अपील संख्या 2022/227 प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एवं अपील संख्या 2022/225 दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के भी उपस्थित नहीं होने के कारण बहस एकपक्षीय अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

दोनों अपीले अपील संख्या 2022/225 उनवान नन्दूबाई बनाम त्तेजू तथा अपील संख्या 2022/227 उनवान मानालाल बनाम तेजू में धारा – 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दोनों अपीलों में धारा – 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपील संख्या 2022/227 के अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः दोनों अपीलों में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने बहस अभिभाषक अपीलांट की पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। दौराने बहस अपील संख्या 2022/225 में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। वादीगण (रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3) ने अधीनस्थ न्यायालय में आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 0.15 बीघा में अपना हिस्सा खाते घोषित कराने व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया था उक्त आराजी प्रतिवादीगण (रेस्पोडेंट नं. 4 लगायत 9) के खातेदारी में थी जिस कारण केवल इनके खिलाफ यह दावा पेश किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा नं. 1 नन्दू बाई के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 586/3 रकबा 0.1897 हेक्टर तथा अपीलांट नं. 2 के खातेदारी की आराजी खसरा 586/1 रकबा 0.1138 हेक्टर व सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 685 रकबा 0.3541 हेक्टर खसरा नम्बर 686 रकबा 0.4553 हेक्टर में भी वादीगण (रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3) एवं अन्य पूरा पुत्र भीमडा, भग्गा पुत्र घीसा, सेवा पुत्र सरूप का नाम भी सहखातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि उक्त व्यक्तियों ने दावा लगाया ही नहीं है एवं प्रतिवादी भी नहीं बनाया है।

दौराने बहस अपील संख्या 2022/227 में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। वादीगण (रेस्पोडेन्टस् नम्बर 1 लगायत 3) ने अधीनस्थ न्यायालय में आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 0.15 बीघा में अपना हिस्सा खाते घोषित कराने व इन्द्राज दुरस्ती का दावा पेश किया था। उक्त आराजी प्रतिवादीगण (रेस्पोडेन्टस् नम्बर 4 लगायत 9) के खातेदारी में थी जिस कारण केवल इनके खिलाफ ही दावा पेश किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने

(दीपक रामचन्द्र मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलान्टस् नम्बर 1 लगायत 4 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 586/5 रकबा 0.1897 हैक्टेयर तथा अपीलान्टस् नम्बर 5/1, 5/2 व 6 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 693/586 रकबा 0.1012 हैक्टेयर एवं अपीलान्टस् नम्बर 7 व 8 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 586/2 रकबा 0.1897 हैक्टेयर एवं अपीलान्टस् नम्बर 1 लगायत 8 के सहखातेदारी की आराजी खसरा नं0 685 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नं0 686 रकबा 0.4553 हैक्टेयर में भी वादीगण (रेस्पोडेन्टस् नम्बर 1 लगायत 3) एवं अन्य पूरा पुत्र भीमड़ा, भग्गा पुत्र घीसा, सेवा पुत्र सरूप का भी नाम सहखातेदारी में दर्ज कर दिया। जबकि उक्त व्यक्तियों ने दावा लगाया ही नहीं है एवं प्रतिवादी भी नहीं बनाया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध भू अभिलेख निरीक्षक वृत रोझाना की जांच रिपोर्ट दिनांक 12.11.2021 एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत कोलूखेड़ा में निर्णय दिनांक 12.11.2021 के अनुसार वाद वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी ग्राम गुवालद के खसरा नम्बर 586 रकबा 3.18 बीघा, 684 रकबा 1.05 बीघा, 685 रकबा 1.08 बीघा, 686 रकबा 1.16 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 8.07 बीघा भूमि पर सेवा पुत्र सरूप, भग्गा पुत्री घीसा, पूरा पुत्र भीमडा, वारिसान नारायण पुत्र भीमडा सर्वे जाति चमार, निवासी गुवालद को हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी/रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 द्वारा ग्राम गुवालद की आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 0.15 बिस्वा, प्रतिवादी कम 1 लगायत 6 के खाते से निरस्त कर वादीगण कम १ लगायत 3 के खातेदारी में दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित करते हुए राजस्व रेकॉर्ड दुरूस्ती फरमाने की प्रार्थना की थी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी सहखातेदारों को सुने बिना ही वादी का वाद स्वीकार करते हुए निर्णय किया कि वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी ग्राम गुवालद के खसरा नम्बर 586 रकबा 3.18 बीघा, 684 रकबा 1.05 बीघा, 685 रकबा 1.08 बीघा, 686 रकबा 1.16 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 8.07 बीघा भूमि पर सेवा पुत्र सरूप, भग्गा पुत्री घीसा, पूरा पुत्र भीमडा, वारिसान नारायण पुत्र भीमडा सर्वे जाति चमार, निवासी गुवालद को हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार गंगधार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। सभी सहखातेदारान को वाद में पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह तथ्य सिद्ध होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाकर उनको सुनवाई का उचित अवसर देते हुये निर्णय परित किया जाना चाहिये था। लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो। उसके अभाव में सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2022/225 एवं 2022/227 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सभी सहखातेदारों को सुनकर सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.03.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/01/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा